COURT OF ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-I, JAMUI

Satyanarayan Sheohare ***SC ST case No. 78/2017***

***Addl. Sessions Judge* I-cum-Special Judge SC/ST, Jamui**

Balram Singh and Others Vs. State of Bihar

09-03-2026 अभियुक्त बलराम सिंह, अभिनय सिंह, अभिजीत सिंह, अभिषेक सिंह एवं कंचन देवी की हाजरी है। पुकार पर अभियुक्तगण के एवं उनके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस मामले में अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 323, 341, एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(x) के अंतगर्त दण्डनीय अपराध के करने के लिये दिनांक 16.02.2018 को आरोप का गठन हुआ था तथा विचारण के दौरान किसी भी अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य नही हुआ। साक्ष्य हेतु अभियोजन साक्षियों की उपस्थिति हेतु साक्षियों के विरूद्ध समन, जमानतीय अधिपत्र एवं पुलिस अधीक्षक को पत्र भी निर्गत हुआ किंतु वे साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं हुये। **इन्ही सब बातों को घ्यान में रखते हुये गत तिथि दिनांक 16.02.2026 को वृहद आदेश पारित करते हुये यह आदेश हुआ था कि अगली तिथि को अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अभियोजन साक्ष्य बंद कर अभियुक्त को द0प्र0स0 की धारा 232 का लाभ प्रदान किया जाएगा** तथा यह भी आदेश हुआ था कि इस आदेश से विद्वान अपर लोक अभियोजक को अवगत कराये तथा इस आदेश के आलोक में आदेश फलक पर विद्वान अपर लोक अभियोजक का हस्ताक्षर करवाया गया। आज ना ही साक्षी है तथा ना ही अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य हेतु समय आवेदन है। अतः पूर्व आदेश के आलोक में अभियुक्त को द0प्र0स0 की धारा 232 का लाभ दिया जाए।

सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकोपरांत मैं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्कों से सहमत हूँ। मामला परिवाद पत्र पर आधारित है। आज ना ही साक्षी की हाजरी है तथा ना ही साक्ष्य हेतु समय आवेदन है। अतः अभियुक्तगण, जो न्यायालय में उपस्थित है, की जांच कर अभियुक्तगण को द0प्र0सं0 की धारा 232 के अंतर्गत इस मामले में लगे आरोप से दोष–मुक्त किया जाता है, इन्हे तथा इनके जमानतदारों को भी बंध पत्र के दायित्व से उन्मुक्त किया जाता है।

कार्यालय नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, जमुई।